भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 133
07 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

भारी वर्षा के कारण क्षति

*133. श्री सौमित्र खान:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा के कारण गत वर्ष के दौरान कितने मूल्य की कृषि एवं बागवानी फसलों की क्षति हुई;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त किया है और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा जान-माल एवं पशुधन की हानि की भरपाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई धनराशि जारी की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“भारी वर्षा के कारण क्षति’’ के संबंध में दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत के उपाय करती हैं जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके निपटान में पहले से ही रखा गया है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदंडों के तहत अनुमोदित सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगाल में 2020 के दौरान चक्रवाती तूफान "अम्फान" के कारण 5.71 लाख हेक्टेयर कृषि/बागवानी फसल क्षेत्र प्रभावित होने की सूचना मिली थी। राज्य को 2020-21 के दौरान एनडीआरएफ के तहत 2250.28 करोड़ रुपये और एसडीआरएफ के तहत 1011.00 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) जारी किए गए थे।

*****